

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 36/2014 वैवाहिक

संस्थित दिनांक..16-06-2014

आमीन खां पुत्र श्री ल्याकतखां आयु 20  
साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम  
भ्यानी पोस्ट भगवासा परगना गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

श्रीमती रुबी बानो पुत्री मुमताज खां आयु  
19 साल जाति मुसलमान निवासी अब्दुल  
हमीद नगर वार्ड नं.21 नाला मोहल्ला  
कलारी के पास इटारसी जिला  
होशंगावाद म0प्र0

-----आवेदिका

आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 16-11-2016 को पारित किया गया //

01. वर्तमान दावा/आवेदन वादी/आवेदक की ओर से प्रतिवादिया/अनावेदिका के साथ हुये विवाह(निकाह) दिनांक 05-6-2013 को शून्य घोषित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका निराकरण किया जा रहा है।

02. वादी की ओर से प्रस्तुत दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, उसका एवं प्रतिवादिया का निकाह मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 5-6-2013 को सम्पन्न हुआ था। विवाह होने के पश्चात् प्रतिवादिया ग्राम भ्यानी में वादी की पत्नी के रूप में आयी थी तब दूसरे दिन ही प्रतिवादिया के पिता उसे लिवा ले गये थे इस कारण वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य कोई भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था, मात्र निकाह हो गया था। विवाह के पश्चात् वादी प्रतिवादी को लिवाकर लाया तो उसी समय उसके नाना का इन्तकाल हो गया

जिस कारण भी वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो सका और प्रतिवादिया अपने माता पिता के पास चली गयी थी। नाना के इन्तकाल के पश्चात् वादी की माँ ने प्रतिवादी की मां से पूछा कि प्रतिवादिया का पेट सामान्य से काफी अधिक है तथा गर्भवती स्त्री जैसा है जिस पर प्रतिवादी की मां ने कहा कि उसके पेट में खून का गोला है उसका ऑप्रेसन होना है। उसके उपरांत वादी की मां को शंका होने पर प्रतिवादिया से पूछा तो प्रतिवादिया ने बताया कि उसके पेट में उसकी बुआ की जिठानी का लडका टीटी पुत्र खलील निवासी असोहना का गर्भ है क्योंकि निकाह के पूर्व से टीटी कई बार उससे नाजायज संबंध स्थापित कर चुका है। इस बात की जानकारी होने पर वादी के परिवारजनों को काफी कष्ट हुआ था। प्रतिवादिया के परिवारजनों ने छल कपट बेईमानी से निकाह प्रतिवादिया से किया है और गर्भवती होने के कारण उसने पुत्री को जन्म दिया जिसे प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन में उसकी मां अफसाना, सम्मी रसीद खां, हजारा, मुमताज खां, शहीद खां उर्फ पप्पी इस्लामी उर्फ रोशनी तथा रहीशा वानो ने मिलकर नवजात कन्या की हत्या कर दी। जिसकी जानकारी होने पर तत्काल वादी की ओर से रिपोर्ट की गयी जिस पर से कार्यवाही संचालित है। प्रतिवादिया के माता पिता ने निकाह के समय कोई दान दहेज नहीं दिया है। प्रतिवादिया उसको विवाह के समय वादी की ओर से चढ़ाए गए सोने चाँदी के जेबरातों को लेकर चली गई और उन्हें वापिस नहीं कर रही है। उसके द्वारा गलत आधारों पर इटारसी में धारा 125 जा0फो0 का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी दशा में वादी एवं प्रतिवादिया का दिनांक 5-6-2013 को हुआ निकाह(विवाह) को शून्य किये जाने की घोषणा एवं वादी द्वारा निकाह में जो चढ़ावा चढ़ाया गया है उसे वादी को प्रतिवादिया से वापिस दिलाये जाने की घोषण किये जाने का निवेदन किया गया है।

03. प्रतिवादिया/अनावेदिका ने वादी के आवेदनपत्र के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों को इन्कार करते हुए यह बताया है कि निकाह के पश्चात् वह दो दिन तक वादी के साथ पत्नी के रूप में ग्राम भ्यानी में रही है और उन दोनों के मध्य दाम्पत्य जीवन स्थापित हुआ है। अनावेदिका का पिता मुमताज खां दो दिन बाद प्रतिवादिया को ग्राम भ्यानी से विदा कराकर अपने घर इटारसी ले गये थे। दिनांक 12-10-2013 को वादी अपने बड़े भाई नासिर खां के साथ प्रतिवादिया ग्राम भ्यानी अपने मायके इटारसी से विदा होकर गयी थी और दिनांक 22-12-2013 तक वादी के साथ रही, इस दौरान भी वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुये। प्रतिवादिया के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाह में दान दहेज के रूप में घरेलू सामान, सोने के जेवर एवं एक लाख रुपये नगद राशि

दी थी। दूसरी बार प्रतिवादिया अपनी ससुराल ग्राम भ्यानी गई और ससुराल में रही तब प्रतिवादिया की सास, वादी, ससुर, ननद ने एक राय होकर प्रतिवादिया को निकाह के समय कम दहेज का सामान लेकर आने के लिये मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बेरहमी से मारपीट कर कहा जाने लगा कि उसके माता पिता ने एक लाख रुपया ही दिया है जबकि दो लाख रुपये मांगे थे। इसके अतिरिक्त वादी कहता था कि उसे प्रतिवादिया पसन्द नहीं है। प्रतिवादिया के टीटी नामक व्यक्ति के साथ कभी भी नाजायज संबंध नहीं रहे हैं तथा प्रतिवादिया पर नाजायज गर्भवती होने का गलत लांछन लगाया गया है। प्रतिवादिया ने किसी नाजायज पुत्री को निकाह पूर्व जन्म नहीं दिया है और न ही उसकी हत्या की है। दिनांक 22-12-13 को प्रतिवादिया के साथ दुर्व्यवहार कर चाचा सद्दाम खां के साथ दुर्व्यवहार कर केवल पहने हुये कपड़ों में प्रतिवादिया की ससुराल ग्राम भ्यानी से यह कहकर भगा दिया गया कि जक तक एक लाख रुपये नगद व कार प्रतिवादिया के घर वाले नहीं देंगे तब तक साथ में नहीं रखेंगे। प्रतिवादिया के परिवार वालों ने वादी से साथ रखने के लिये निवेदन किया किन्तु वादी व उसके परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से साथ रखने से मना कर दिया तब प्रतिवादिया को दिनांक 29-3-14 को अभिभाषक के माध्यम से वादी को नोटिस पंजीकृत डांक से भेजा गया। प्रतिवादिया के पास कोई सोने चांदी के जेबरात नहीं हैं। उसे एक जोड़ी कपड़ों में उसकी ससुराल से भगा दिया गया था तब से वह अपने मायके में रह रही है। वादी के द्वारा भरण पोषण की राशि अदा न करनी पड़े इस कारण प्रतिवादिया पर गलत आरोप लगाकर वादपत्र पेश किया गया है। प्रतिवादिया निकाह के पश्चात् जब प्रथम बार वादी की पत्नी के रूप में ग्राम भ्यानी गयी थी तब वह गर्भवती नहीं थी और विवाह के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुये हैं। ऐसी दशा में वादी की ओर से पेश वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनकी विवेचना उपरांत निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

कं0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ दिनांक 5-6-13 को सम्पन्न हुआ था ?	

2-	क्या निकाह के समय अनावेदिका आवेदक से भिन्न किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी ?	
3-	क्या निकाह के समय अनावेदिका के गर्भवती होने का तथ्य छिपाते हुये आवेदक के साथ उसका निकाह छल पूर्वक उसके परिजनों के द्वारा कराया गया ?	
4-	क्या आवेदक अनावेदिका के साथ सम्पन्न निकाह दिनांक 5-6-13 शून्य है ?	
5-	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक 1:-

05. आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ दिनांक 05.06.2013 को सम्पन्न होना अविवादित है। इस संबंध में आवेदक आमीन खों के द्वारा उसका निकाह अनावेदिका के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 05.06.2013 को सम्पन्न हुआ था जो कि अनावेदिका रूबी वानो के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में उक्त तथ्य बताया गया है। इस प्रकार आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ दिनांक 05.06.2013 को सम्पन्न होना प्रमाणित होता है।

बिन्दु क्रमांक 2, 3 :-

06. आवेदक के द्वारा अनावेदिका के साथ हुए उसके निकाह को इस आधार पर कि निकाह होते समय अनावेदिका गर्भवती थी जिस तथ्य को अनावेदिका एवं उसके परिवार वालों के द्वारा छिपाया गया और इस प्रकार निकाह के समय अनावेदिका के गर्भवती होने के



तथ्य को छिपाते हुए निकाह छल पूर्वक किया गया है जिससे अनावेदिका के साथ हुआ उसका निकाह शून्य है। आवेदक जिसने कि इस संबंध में विवाह को शून्य होने का आधार लिया है उस पर उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार है।

07. आवेदक आमीन खॉ आ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि निकाह के पश्चात् अनावेदिका उसके यहाँ पत्नी के रूप में आई थी और निकाह के दूसरे दिन ही उसका पिता उसे लिवा ले गया था, इस कारण उसके एवं अनावेदिका के मध्य किसी प्रकार के कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए। इसके पश्चात् वह अनावेदिका को लिवाकर लाया तो उसी समय उसके नाना का इन्तकाल हो गया था इस कारण वह अपने माता पिता के पास चली गई थी और इस समय भी उनके बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए। नाना के इन्तकाल होने के पश्चात् आवेदक की माँ ने अनावेदिका की माँ को पूछा कि अनावेदिका का पेट सामान्य से अधिक क्यों दिख रहा है और वह गर्भवती स्त्री जैसी है, जिस पर अनावेदिका की माँ ने कहा था कि उसके पेट में खून का गोला है जिसका ऑपरेशन होना है। आवेदक की माँ को शक होने पर उसने अनावेदिका से पूछा तो अनावेदिका ने बताया कि उसके पेट में उसकी बुआ की जिठानी के लडके टी.टी. पुत्र खलील निवासी असहोना बडेरा थाना मौ का गर्भ है जो कि निकाह के पूर्व से टी.टी. कई बार उससे नाजायज संबंध स्थापित कर चुका है। इस प्रकार अनावेदिका एवं उसके परिवारजनों ने उक्त तथ्य छिपाते हुए अनावेदिका का निकाह छल-कपट और बेईमानी से उसके साथ किया गया है। अनावेदिका के गर्भवती होने के कारण उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जिसे कि अनावेदिका के परिवारजनों ने जन्म होने के पश्चात् नवजात कन्या की हत्या कर दी थी, जिस संबंध में जानकारी होने पर तत्काल आवेदक के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इस संबंध में आवेदक के द्वारा एस.डी.ओ.पी. गोहद के यहाँ नवजात कन्या की कतिथि हत्या करने के संबंध में दिनांक 11.04.2014 को दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 1 और अनावेदिका के द्वारा आवेदक को दिया गया नोटिस दिनांक 29.03.2014 प्र.पी. 2 है। उक्त नोटिस का आवेदक के द्वारा दिया गया जबाव 15.04.2014 प्र.पी. 3 पेश किया गया है।

08. आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी मुरादो बेगम आ0सा0 2 जो कि आवेदक की माँ है के द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादिया के नाना का इन्तकाल के पहले उसने उसकी माँ से पूछा था कि उसका पेट सामान्य से अधिक लग रहा है और वह गर्भवती जैसी लग रही है जिस पर उसकी माँ ने पेट में खून का गोला होना और उसका ऑपरेशन होना है बताया था। उसके द्वारा शक होने पर प्रतिवादिया को पूछा गया तो उसने बताया था कि उसके पेट में उसकी बुआ की जिठानी के लडके टी.टी उर्फ खलील का गर्भ है जिससे कि

निकाह के पूर्व कई बार नाजायज संबंध स्थापित हुए थे और प्रतिवादिया के परिवारजनों ने उसके गर्भवती होने के तथ्य को छिपाते हुए बेईमानी पूर्वक निकाह कर दिया था। प्रतिवादिया गर्भवती होने के कारण उसने पुत्री को जन्म दिया था जिसकी कि प्रतिवादिया और उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी थी।

09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी सोम शर्मा आ0सा0 3 विवाह के दूसरे दिन अनावेदिका के चले जाने और विवाह में चढ़ाया हुआ सोने चॉदी का सामान उसके पास होना बताया है। इसके अतिरिक्त साक्षी यह बताया है कि पूरे गांव में चर्चा थी कि गर्भवती महिला के साथ विवाह कर दिया है और गांव की महिलाओं ने भी उसे देखा था।

10. आवेदक आमीन के द्वारा किए गए कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में बताया है कि अनावेदिका रूबी का पेट जब उसे शादी में बिदा कराकर लाया था तब रास्ते में ही देख लिया था। उसने उसके पेट बढ़ने के संबंध में कोई बातचीत नहीं की थी। उसकी माँ ने बिदा के समय आते ही उसका पेट सामान्य से अधिक होने के संबंध में बातचीत की थी। उसने व उसकी माँ ने अनावेदिका का कोई मेडीकल टैस्ट नहीं कराया था। इस संबंध में आवेदक की माँ मुरादो बेगम के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में यह बताई है कि विवाह से पूर्व और विवाह के दिन रूबी की माँ से पूछा था कि रूबी का पेट सामान्य अधिक बढ़ा हुआ है तो उसकी माँ ने बताया था कि उसके पेट में गोला पड़ जाते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आवेदक के द्वारा अपने अभिवचन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि विवाह के समय ही उसने अनावेदिका का बढ़ा हुआ पेट देख लिया था। उक्त बात आवेदक एवं उसकी माँ मुरादो बेगम न्यायालय में प्रतिपरीक्षण में पहली बार बताए हैं। आवेदक के द्वारा यह भी बताया गया है कि अनावेदिका ने उसके पेट में टी.टी. का गर्भ होने वाली बात उसकी माँ को बताई थी, लेकिन जब उक्त बात उसकी माँ को बताई थी उस समय वह मौजूद नहीं था। इस संबंध में उसने उस समय कोई रिपोर्ट भी नहीं की थी।

11. इस प्रकार यदि आवेदक को निकाह के बाद बिदा होते समय ही रास्ते में ही अनावेदिका का पेट सामान्य से अधिक बढ़ा होना दिख रहा था तो उसका कोई मेडीकल परीक्षण उनके द्वारा कराया जा सकता था, किन्तु कोई मेडीकल परीक्षण उस समय नहीं कराया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कतिथ रूप से अनावेदिका के पेट में टी.टी. पुत्र खलील का गर्भ होने के संबंध में कोई बात स्वयं आवेदक को नहीं बताई गई और जिस समय उक्त बात बताई जानी आवेदक बता रहा है, उस समय वह वहाँ पर मौजूद नहीं था, जैसा कि वह अपने साक्ष्य कथन में बता रहा है। इस संबंध में मुरादो बेगम जो अनावेदिका की सास है

को स्वयं अनावेदिक यह बताए कि उसके पेट में किस व्यक्ति का गर्भ है यह अस्वभाविक लगता है। यदि उसे उस समय इस संबंध में पता लग गया था तो तुरन्त इसकी शिकायत कहीं भी क्यों नहीं की गई, यह भी विचारणीय है।

12. इसके अतिरिक्त अनावेदिका के द्वारा इटारसी में माता मंदिर अस्पताल में नवजात बच्ची को जन्म देना प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में आवेदक बताया है, किन्तु उसके द्वारा बच्ची को जन्म देने के संबंध में कोई भी दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किए गए हैं, जैसा कि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है। निश्चित रूप से यदि अस्पताल में नवजात शिशु को जन्म दिया गया था तो उसका जन्म देने के संबंध में अस्पताल से कि कब नवजात कन्या का जन्म हुआ था इस आशय का दस्तावेज प्राप्त कर पेश किया जा सकता था। इस संबंध में उक्त कंडिका में आवेदक यह भी बता रहा है कि अनावेदिका ने उसकी माँ को बताया था कि उसने नवजात बच्ची को जन्म दिया है। स्वतः में वह बताया है कि उसके घर पर आने पर रूबी ने बताया था कि वह नवजात बच्ची को जन्म देकर आई है। जब अनावेदिका पहली बार उसके यहाँ से इटारसी गई थी उसके 5-6 दिन बाद जब वह लौटकर घर आई थी तब अनावेदिका ने उसकी माँ को बताया था कि वह एक बच्ची को जन्म देकर आई है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि रूबी ने उसकी माँ को उक्त बात बताने के कितने दिन पूर्व बच्ची को जन्म दिया था। निकाह के बाद जब पहली बार अनावेदिका अपने मायके वापस इटारसी गई तो उसके 5-6 दिन बाद लौटकर आने पर उसके द्वारा बच्ची को जन्म देकर आने बताना साक्षी अभिकथित कर रहा है और उक्त बच्ची का जन्म होने उसकी माँ को बताना अभिकथित कर रहा है, किन्तु जन्म कितने दिन पूर्व हुआ था इस बारे में जानकारी न होना बता रहा है।

13. आवेदक के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि वह अपने साक्ष्य में सही बात नहीं बता रहा है, बल्कि मनगढ़ंत रूप से वह कथन कर रहा है। उसके द्वारा किए गए कथन स्वभाविक होने भी नहीं लगते हैं और उसके कथनों से ऐसा परिलक्षित होता है कि निकाह के समय ही अनावेदिका का गर्भ परिपक्व स्थिति में था। यदि आवेदक को उस समय ऐसी कोई बात पता चली थी तो उस समय उसके द्वारा कहीं कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई और कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की गई, यह विचारणीय है।

14. आवेदक साक्षी मुरादो बेगम आ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनप का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षिया कंडिका 5 में इस बात को स्वीकार की है कि निकाह के पूर्व वह अनावेदिका को देखने के लिए गई थी और इस बात को भी स्वीकार की है कि शादी के पूर्व आवेदक आमीन खाँ ने रूबी को देख लिया था, क्यों कि रूबी के पिता



चितौरा के रहने वाले है और इटारसी में व्यवसाय करते है, चितौरा आते रहते है। निकाह करने वह इटारसी गए थे। निकाह के पूर्व एवं निकाह वाले दिन उसने अनावेदिका रूबी को देख लिया था। प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में पूर्व में उसके द्वारा किए गए कथन को सुधार करते हुए साक्षिया बताई है कि निकाह के पूर्व और निकाह के दि ही उसने रूबी की माँ से पूछ लिया था कि रूबी का पेट सामान्य से अधिक बढा हुआ है और उसकी माँ ने बताया था कि उसके पेट में गोला पड गया है, जबकि मुख्य परीक्षण में बताई है कि प्रतिवादिया के नाना के इन्तकाल होने के पश्चात् उसने उसकी माँ से पूछा था कि उसका पेट सामान्य से अधिक क्यों बढा हुआ है। इसी कंडिका में साक्षिया इस बात को स्वीकार की है कि जब उसे यह पता चला कि रूबी का पेट सामान्य से अधिक बढा है तो उस समय उसने उसकी कोई मेडीकल जाँच नहीं कराई थी। अनावेदिका को उसके नाना के इन्तकाल होने पर उसके माता पिता के यहाँ इटारसी छोड आए थे। अनावेदिका के माता पिता ने उनकी अनुपस्थिति में उसका ऑपेशन करा लिया था। ऑपेशन के बाद वह उनके यहाँ नहीं आई थी। इस प्रकार साक्षिया मुरादो बेगम के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन कदापि स्वभाविक नहीं लगते है। उसके कथन के आधार पर इस संबंध में किए गए अभिवचनों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर आवेदक के अन्य साक्षी सोम शर्मा आ0सा0 3 के कथन के आधार पर भी आवेदक के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

15. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक के द्वारा एस.डी.ओ.पी. गोहद को जो रिपोर्ट प्र.पी. 1 की जानी बताई गई है। उक्त रिपोर्ट के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 11.04.2014 में किस के द्वारा उसे प्राप्त किया गया है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और न ही उस पर कोई शील लगी हुई है। इस संबंध में उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति बावत् किसी भी साक्षी का कथन जैसा कि उक्त रिपोर्ट में दिया गया है नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में उक्त रिपोर्ट जो कि निकाह के दस महीने बाद की गई है के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक को दिनांक 29.03.2014 को इस आशय का नोटिस दिया गया है कि आवेदक उसे लिवाकर अपने साथ ले जाए और बिकल्प में भरण पोषण दिलाए जाने के संबंध में नोटिस दिया गया है जो कि उक्त नोटिस प्र.पी. 2 स्वयं आवेदक के द्वारा पेश किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक को वैधानिक नोटिस दिया जाने के उपरांत उसके द्वारा कथित रूप से अनावेदिका पर यह आक्षेप लगाते हुए कि वह निकाह के समय अन्य पुरुष से गर्भवती थी और उसके द्वारा कन्या को जन्म दिया गया है के संबंध में एस.डी.ओ.पी. के यहाँ प्र.पी. 1 की कथित रिपोर्ट की गई है और इस संबंध में



आवेदक के द्वारा दिया गया वैधानिक नोटिस के जबाब प्र.पी. 3 में दिनांक 15.04.2014 का है उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर आवेदक के द्वारा किये गये अभिवचन की पुष्टि नहीं होती है।

16. अनावेदिका रूबी वानो अना0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में निकाह के उपरांत बिदा होकर आवेदक के यहाँ गांव में आना और 2 दिन तक उसके साथ रहना और इस बीच उनके मध्य शारीरिक संबंध पति पत्नी के रूप में होना बताई है। साक्षिया के अनुसार उसके बाद उसके पिता उसे ससुराल से इटारसी ले गए थे। दिनांक 12.10.2013 को आवेदक अपने बड़े भाई नासिर खॉ के साथ बिदा कर ग्राम भ्यानी लाया था वह दिनांक 22.12.2013 तक पति के साथ ससुराल ग्राम भ्यानी रही थी और इस दौरान भी उसके साथ उसके शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। अनावेदिका के द्वारा यह भी बताया गया है कि जब वह दूसरी बार बिदा होकर आई थी तो उसके पति, सास, ससुर और ननद ने एक राय होकर दहेज में नगदी एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित किये जाना लगा और दिनांक 22.12.2013 को उसके चाचा के साथ केवल पहने हुए कपड़ों में उसे भगा दिया और उसके बाद उसके माता पिता के द्वारा निवेदन के उपरांत भी उसे आवेदक के द्वारा नहीं रखा गया और रखने से मना कर दिया। अनावेदिका ने टी.टी. नामक किसी व्यक्ति को जानने अथवा उससे किसी प्रकार के नाजायज संबंध होने से साफतौर से इन्कार किया गया है और यह कथन किया है कि अपना अपराध छिपाने और उससे छुटकारा पाने के लिए उस पर गर्भवती होने एवं नाजायज पुत्री को जन्म देने और उसकी हत्या करने का मिथ्या आरोप लगाया गया है। अनावेदिका के द्वारा धारा 125 दं.प्र.सं. जो कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटारसी जिला होशंगाबाद के न्यायालय में संचालित प्रकरण क्रमांक 30/14 से प्राप्त दस्तावेजों की प्रति प्र.डी. 1 से प्र.डी. 5 पेश किया गया है।

17. अनावेदिका के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है, जिससे कि यह परिलक्षित होता हो कि वह किसी तथ्य को छिपा रही हो। अनावेदिका के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट है कि आवेदक के उसके साथ में न रखने और उसका भरण पोषण न करने के कारण उसके द्वारा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही संचालित की गई है और उसके उपरांत ही आवेदक के द्वारा आधार लेते हुए विवाह को शून्य करने का वर्तमान दावा पेश किया गया है।

18. अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी मुमताज खॉ अना0सा0 2 जो कि अनावेदिका का पिता है और अफसाना अना0सा0 3 जो कि अनावेदिका की माँ है तथा साक्षी रफीक खॉ अना0सा0 4 जो कि अनावेदिका का बाबा है के द्वारा भी इस संबंध में अनावेदिका

के द्वारा किए गए कथनों का समर्थन करते हुए आवेदक के द्वारा उनकी पुत्री पर झूठा व निराधार लांछन लगाना जिससे कि वह उससे छुटकारा पा सके और उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य से बच सके। उक्त साक्षीगण के कथन उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुए हैं।

19. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ दिनांक 05.06.2013 को सम्पन्न हुआ था और निकाह के उपरांत अनावेदिका आवेदक की पत्नी के रूप में उसके साथ रही थी। अनावेदिका जो कि आवेदक के साथ विवाह के पश्चात् रही है। यह उल्लेखनीय है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक को इस आशय का नोटिस दिये जाने के उपरांत कि उसे उसके पिता के घर से ले जाकर पत्नी के रूप में रखे और बिकल्प में उसका स्त्रीधन लौटाकर उसे भरण पोषण अदा करने के संबंध में प्र.पी. 2 का नोटिस दिये जाने के उपरांत आवेदक के द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि अनावेदिका निकाह के समय गर्भवती थी, इस संबंध में कि अनावेदिका निकाह के समय गर्भवती थी यदि आवेदक और उसके परिवार वालों को कोई शंका थी तो इसका मेडीकल परीक्षण कराया जा सकता था, किन्तु कोई भी मेडीकल परीक्षण भी नहीं कराया गया है। इस बिन्दु पर आवेदक आमीन खाँ के कथन जिसका कि पूर्व में विवेचन किया गया है और उसकी माँ मुरादो बेगम के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्षी इस बिन्दु पर परीक्षित नहीं है और उक्त दोनों साक्षियों के कथनों पर उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत विश्वास योग्य नहीं पाए गए हैं और एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक अनावेदिका को विवाह के बाद से पसंद नहीं करता है और वह उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, इस संबंध में जैसा कि अनावेदिका पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है।

20. इस प्रकार आवेदक के द्वारा लिया गया यह आधार कि निकाह के समय अनावेदिका किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और उसके गर्भ के तथ्य को छिपाते हुए आवेदक के साथ उसका निकाह छल पूर्वक उसके परिजनों के द्वारा कराया गया का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 2 व 3 का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

#### बिन्दु क्रमांक 04:-

21. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं बाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना नहीं पाया गया है कि अनावेदिका का निकाह के समय आवेदक से भिन्न किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और उसके द्वारा गर्भवती होने के तथ्य को उसके एवं

उसके परिवारजनों के द्वारा छिपाते हुए उसका निकाह कराया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा निकाह को शून्य घोषित किए जाने बावत् जो आधार लिया गया है वह प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में आवेदक का अनावेदिका के साथ सम्पन्न निकाह दिनांक 05.06.2013 को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 05:-

22. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तथा वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र/दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। आवेदक को अनावेदिका के साथ हुआ निकाह शून्य किये जाने की सहायता उसे प्रदान नहीं की जा सकती है। इस संबंध में निम्न आशय की डिक्री तैयार की जाए—

1. आवेदक/वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र/वाद स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।
2. आवेदक अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा एवं अनावेदिका का भी वाद व्यय वहन करेगा।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताबिक जो भी कम हो देय हो। तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड